फाइल सं. ओ-19025/9/2001-ओएनजी (वी)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110 115

दिनांक 06 मई, 2008

सेवा में,

महानिदेशक,
हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय,
नोएडा

विषय:विस्तारण नीति के उपबंधों के अंतर्गत अन्वेषण चरणों का विस्तारण।

महोदय,

यह पत्र, विस्तारण नीति के अनुसार मंत्रालय में प्राप्त उन विभिन्न विस्तारण प्रस्तावों के संदर्भ में है, जिसमें प्रचालकों द्वारा बी.जी. और एलडीज का प्रस्तुतीकरण शामिल है। यह नोट किया गया था कि पीएससी के ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट मानकीकृत नहीं है। अनेक ठेकेदार मुख्यत: एनओसीज पूरे किए गए कूप आधार पर आकलन प्रस्तुत करते हैं, जबकि अन्य शुष्क कूप आधार पर प्रस्तुत करते हैं।

2. इस मामले पर मंत्रालय में विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि सभी मामलों पर पूरा न किए कार्य के कार्यक्रम और एलडी के लिए बीजी का हिसाब लगाने के एकसमान सिद्धांत और पद्धतियां लागू की जाएं। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि पूरे किए गए कूपों के लिए बीजी ली जाए, जबकि एलडी शुष्क कूप आधार पर प्रभारित की जाए। यदि कूप पूरा कर दिया गया है तो सरकार द्वारा पहले से रखी गई बीजी के प्रति वास्तविक अंतर (उच्चतर) एलडी मांगी जाए। इसलिए बीजी का परिकलन पूरे किए गए कूप आधार पर किए जाने की आवश्यकता है और इसकी वैधता, मांगे गए विस्तारण से अधिक लंबी अवधि की होनी चाहिए।

3. यह पत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
हस्ता./-
(सुनीता शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 2389464